HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6711/2026

Alka Gupta W/o Ramprakash Gupta, Aged About 63 Years, R/o 12, Raghu Vihar Maharani Farm, Durgapura, Jaipur. (At Present Lodge At Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Dipti Jindal
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

01/05/2026

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– शिप्रा पथ, जिला– जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 426/2017 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 408, 409, 120-B भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त रामप्रकाश गुप्ता की जमानत याचिका पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2018 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थिया/अभियुक्ता व उसके पति सहअभियुक्त रामप्रकाश गुप्ता के विरुद्ध पूर्व में जो प्रकरण पंजीबद्ध होना दर्शित किया गया है, उनमें से 10 प्रकरण में पुलिस द्वारा नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रार्थिया/अभियुक्ता एक महिला है तथा लगभग 7 माह से अभिरक्षा में चल रही है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में

अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रार्थिया/अभियुक्ता एक महिला है तथा लगभग 7 माह से अभिरक्षा में चल रही है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त रामप्रकाश गुप्ता, जो कि प्रार्थिया/अभियुक्ता का पति है, की जमानत याचिका पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2018 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थिया/अभियुक्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थिया/अभियुक्ता **अलका गुप्ता पत्नी रामप्रकाश गुप्ता** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 52